

लीगल एड डफिंस काउंसलि ससिस्टम का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

11 जनवरी, 2023 को मुख्य न्यायाधिति एवं मुख्य संरक्षक, राजस्थान राज्य वधिकि सेवा प्राधकिरण पंकज मतिथल ने न्यु हाइकोर्ट बलिडिगि में राजस्थान के 23 न्यायक्षेत्रों में लीगल एड डफिंस काउंसलि ससिस्टम का शुभारंभ कयि। शेष 13 न्यायक्षेत्रों में ससिस्टम की प्रकरयि अभी वचिराधीन है।

प्रमुख बदि

- इस अवसर पर मुख्य न्यायाधिति ने कहा कि लीगल एड डफिंस काउंसलि ससिस्टम राज्य में कमजोर एवं वंचति वर्ग के व्यक्तियों को फौजदारी मामलों में सक्षम एवं प्रभावी वधिकि सहायता प्रदान कराने तथा उनकी न्याय तक पहुँच को सुगम बनाने की दशिा में एक मील का पत्थर साबति होगा।
- मुख्य न्यायाधिति ने कहा कि लीगल एड डफिंस काउंसलि ससिस्टम लागू करने का वचिरा यूरोप के पब्लिकि डफिंडर ससिस्टम के समकक्ष है। इसके माध्यम से समाज के कमजोर एवं वंचति वर्ग के पात्र व्यक्तियों को फौजदारी मामलों में ढाँचागत सक्षम एवं प्रभावी वधिकि सेवाएँ उपलब्ध करवाकर उनकी न्याय तक पहुँच को अधिकि सुगम बनाया जा सकेगा।
- उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय सेवा प्राधकिरण द्वारा लीगल एड डफिंस काउंसलि ससिस्टम को देश में 22 राज्य वधिकि सेवा प्राधकिरणों के 365 ज़िला वधिकि सेवा प्राधकिरणों में प्रारंभ कयि जा रहा है।
- इसके अंतर्गत प्रथम फेज में राजस्थान के समस्त 36 न्यायक्षेत्रों में लीगल एड डफिंस काउंसलि ससिस्टम को प्रारंभ करने का नरिणय भी लयिा गया है।